को अनुपालन पत्र के साथ दिया

संख्या-1823/सत्तर-2-2011-16(70)/2005टी0सी0

प्रेषक,

विमल किशोर गुप्ता
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 08 ,जून, 2011

विषयः बी0एड0 पाठ्यक्रम की शुल्क निर्धारण के संबंध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1570/सत्तर-2-2011-16(70)/2005टी0सी0, दिनांक 09 मई, 2011 तथा पत्र संख्या-1627/सत्तर-2-2011-16(70)/2005टी0सी0, दिनांक 14 मई, 2011 तथा बी0एड0 पाठ्यक्रम की फीस निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 27.5.2011 के कार्यवृत्त पत्र संख्या-1725/सत्तर-2-2011-16(70)/2005टी0सी0, दिनांक 1.6.2011 तथा संख्या-1649/सत्तर-2-2011- 16(70)/2005 टी0सी0, दिनांक 2.6.2011, जिनकी प्रतियां आपको पृष्ठांकित हैं, का संदर्भ ग्रहण करें।

2- बी0एड0 पाठ्यक्रम की फीस निर्धारण के संबंध में उक्त शासनादेश संख्या-1649/सत्तर-2-2011- 16(70)/2005 टी0सी0, दिनांक 2.6.2011 द्वारा विहित शर्तो पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को महाविद्यालयों का आवंटन किया गया है। विहित शर्तो में यह उल्लिखित है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट को डाटा एनालिसिस के लिए संस्थाओं को ई-मेल अथवा फोन से सूचित करके शीघ्रता से सूचना मंगाकर, संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करके संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी बैलेन्स शीट/आडिट रिपोर्ट के आधार पर संस्था की वास्तविक आय-व्यय की स्थिति का परीक्षण करना होगा। शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट को सहयोग नहीं किया जा रहा है।

3- अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने क्षेत्राधिकार में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाली समस्त संस्थाओं को निर्देशित कर दें कि वह आवंटित चार्टर्ड एकाउंटेंट को मांगी जा रही सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। कृपया तदनुसार निर्देश प्रसारित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विमल किशोर गुप्ता)
विशेष सचिव।

पत्रांक : कु0स0–सम्बद्धता/ /2011, दिनांक : 11 जून, 2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. मा0 कुलपति जी–सूचनार्थ।
2. समस्त स्ववित्तपोषित बी0एड0 महाविद्यालय–सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को इस आशय से कि शीघ्रातिशीघ्र उक्त पत्र का अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें ताकि शासन को अवगत कराया जा सके।
3. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

भवदीय

11.06.11

(आई0पी0झा)
कुलसचिव